FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उप जिला कलेक्टर** मुकाम **दीगोद**

नाथूलाल बनाम हीरालाल

किस्म मुकदमा 183 RTA नं. ______ सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/4/18	वाद वादी श्री नाथूलाल की ओर से गये वकील ललितकिशोर मालव द्वारा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली सिलसिला देखी गई। वाद दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादी को तलब जरिये नोटिस की जावे। वादी अपना प्रकरण को लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं अतः पत्रावली वास्ते सुनवाई लोक अदालत कैम्प मण्डावरा दिनांक 2/5/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
2/5/18	पत्रावली लोक अदालत कैम्प मण्डावरा में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी की ओर से चुन्नीलाल मेहर उपस्थित। उभयपक्ष को मजमे आम में सुना गया, वादी ने बयान किये कि विवादित आराजी ख० नं० 58	वादी (हस्ताक्षर)

चुन्नीलाल मेहर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर अहक... हुक्म की ताम... में जारी हुए
	की भूमि पूर्व खातेदार छीतरलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की गई थी, जिसका नामा० मेरे पक्ष मे दर्ज किया जा चुका है, किन्तु प्रतिवादी बिना किसी कारण, बिना किसी स्वत्व के मेरी भूमि पर जबरन कब्जा कर लेता है, जिसे हटाया जाकर मुझे कब्जा संभलाया जावे। प्रतिवादी नं. 1 की ओरसे कथन किये कि, विवादित आराजी पर हीरालाल या अन्य किसी का कब्जा नहीं है। मजमे आम के उपस्थित पक्षकारो के मध्य सुलह करवाई गई। उभयपक्ष ने इस बाबत् सहमति कायम की गई कि मौके पर विवादित आराजी का दोनो पक्षो की उपस्थिति मे सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की जावे। सहमति बाबत् आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वादवादी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी का दोनो पक्षो की उपस्थिति मे सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है।	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
राजस्व दल का गठन कर विवादित ख०न० 58 वाके ग्राम कुराडी का उभयपक्षों की उपस्थिति मे सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करावें। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] [signature] (लो॰अ॰अ॰ [illegible])	